न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 147 / 2021	2021 / 328	08.10.2021	21.06.2022

–उनवान–

1. वीरसिंह पुत्र श्री हीरालाल, जाति अहीर, निवासी शक्तपुरा बावद हाल माजरा अहीर, तहसील बानसूर, जिला अलवर राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. बस्तीराम पुत्र श्री हीरालाल जाति अहीर, निवासी शक्तपुरा बावद हाल माजरा अहीर, तहसील बानसूर, जिला अलवर।
2. तहसीलदार बानसूर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री सुखवीरसिंह यादव **–वकील प्रार्थी**

02. श्री विरेन्द्र कुमार यादव **–वकील अप्रार्थी नं0 1**

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर सहायक कलक्टर बानसूर के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान वीरसिंह बनाम बस्तीराम को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद वीरसिंह बनाम बस्तीराम विचाराधीन है। जिसमें पेशी दिनांक 09.04.2021 नियत थी। प्रार्थी ने अपने दावे के साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पेश किया जिसपर पीठासीन अधिकारी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबंध कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 को अनेको बार पीठासीन अधिकारी के चैम्बर व घर पर आते–जाते देखा गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने सरेआम गांव में कहा है कि पीठासीन अधिकारी से साठ–गांठ करली है आगामी तारीख पेश पर स्थगन प्रार्थना पत्र खारीज कराके छोडूंगा। पीठासीन अधिकारी उक्त मुकदमें में नजदीक पेशीयां लगा रहे है जबकी अन्य मुकदमों में एक–'एक, दो–दो माह की तारीख पेशी लगा रहे है। पीठासीन अधिकारी उक्त मुकदमें में विशेष दिलचस्पी ले रहे है व सरेइजलास कहा है कि मुकदमे में दम नही है अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। मुकदमें में अभी साक्ष्य भी प्रारम्भ नहीं हुए हैं लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी से कहा गया है कि आपने गलत तरीके से दावा पेश किया है। आप अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व परेशान कर रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र में अंकित तथ्य बेबुनियाद, झूठे एवं मनगढंत है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विचाराधीन प्रकरण में नजदीक–नजदीक तारीख दी जाकर प्रदत्त नियमों के तहत विधिवत् सुनवाई की जा रही है। अतः प्रार्थीगण का मुन्तकिल प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु बेबुनियाद, मनगंढत, झूठे एवं गलत है। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रकरण को जानबूझकर लम्बित करने की नियत से पेश किया गया है। फिर भी प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)